छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक –01 1920 रायपुर, दिनांक 04 DEC 2017

संक्षिप्त निविदा अनुबंध सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र, ओ.एम.आर. उत्तरशीट, उत्तर पुस्तिका कतरन (पेकिंग मटेरियल) एवं अन्य प्रपत्र इत्यादि को विक्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर, शंकर नगर रोड स्थित कार्यालय (स्थापना शाखा) से कोरे कागज में आवेदन देकर, तथा रूपये 100/– (सौ रू.) मात्र नगद जमा करके दिनांक **11.12.2017 से 27.12.2017** तक कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियां अंकित कर निविदाएं छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि **27.12.2017** को अपरान्ह 05.00 बजे तक जमा की जा सकेगी। मूल प्रति में भरी गई निविदाएं ही मान्य होगी। निविदा प्रपत्रों की छायाप्रतियां स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाएं दिनांक **28.12.2017 को दोपहर 12.00** बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा में विक्रय किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची तथा शर्ते आयोग कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा की गई है, जिन्हें कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।

अवर सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा अयोग, रायपुर

क्रमांक/ 1921 /50/परीक्षा/2004 रायपुर, दिनांक 04 DEC 2017

निविदा अनुबंध की नियम एवं शर्ते

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड़, रायपुर में विभिन्न परीक्षाओं के अनुपयोगी प्रश्न पत्र तथा अनुपयोगी ओ.एम.आर. शीट का कतरन तथा कार्टून एवं अन्य अनुपयोगी दस्तावेज विक्रय हेतु दरें निविदा स्वीकृति दिनांक **11.12.2017 से 31.03.2018** तक वैध रहेगी, उक्त अवधि में सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर को निविदा प्रपत्र अथवा शर्तों में आवश्यकतानुसार किसी भी वैधानिक संशोधन करने का अधिकार होगा। प्रपत्रों की दरें निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिस पर फर्म का नाम एवं व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

(2) निविदाएं सील बंद (एक) लिफाफा में नियत **दिनांक 11.12.2017 से 27.12.2017** को सायं 05.00 बजे तक सचिव छ0ग0 लोक सेवा आयोग , शंकर नगर , रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी, जो कि दिनांक **28.12.2017 को अपरान्ह 12.00 बजे** आयोग परिसर में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी। निर्धारित समयावधि/तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

(3) निविदा के साथ रूपये 5000/– (रू.पांच हजार) मात्र अमानत राशि का राष्ट्रीयकृत बैंकों का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो सचिव छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदा स्वीकृत होने की दशा में अनुबंध निष्पादित होने पर यह अमानत राशि बिना ब्याज के आयोग में जमा रहेगी, जो अनुबंध समाप्ति के पश्चात् संबंधित निविदाकार को वापस की जा सकेगी। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में अमानत राशि तत्काल वापस की जावेगी।

(4) इस निविदा के संबंध में कोई भी पत्राचार सचिव, लोक सेवा आयोग छ0ग0 को ही सम्बोधित होगा।

(5) निविदाकार पृथक से एक बड़े लिफाफे में जिस पर निविदा क्रमांक अंकित हो, फर्म का नाम एवं पता उल्लेख करते हुए निविदा प्रस्तुत करेंगे।

(6) निविदा में विक्रय किए जाने वाले प्रपत्रों की दरें सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए तथा निविदा सामग्री निविदाकार को लोक सेवा आयोग कार्यालय से स्वयं के व्यय पर ले जाना होगा।

(7) अनुपयोगी प्रश्न पत्र तथा ओ.एम.आर. उत्तरशीट आयोग द्वारा कतरन के रूप में प्रदाय की जायेगी। कार्टून आदि को तौल कर दिया जायेगा। निविदाकार को उक्त सामग्री आयोग कार्यालय से उठाना होगा। वजन कराने तथा सामाग्री उठाने का कोई पारिश्रमिक भुगतान आयोग द्वारा देय नहीं होगा और यह कार्य निविदा जारी होने के एक माह के भीतर कर लिया जाना चाहिए।

(8) अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट पृथक से एक लिफाफा में रखकर प्रस्तुत करें।

(9) विशिष्ट अथवा किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में आयोग द्वारा नियत तिथि पर देय भुगतान न होने या देरी के लिए आयोग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

(10) किसी प्रकार के उत्पन्न विवाद की स्थिति में सचिव, छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(11) किसी भी निविदा को आयोग की सुविधा में बिना कारण बताये किसी भी प्रक्रम में निरस्त करने का अधिकार सचिव, छ0ग0 लोक सेवा अयोग, रायपुर को होगा।

(12) निविदाकार को किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर